

राजस्व आदेश अनुवृत्ति – पत्र

09/04/2025

- प्रकरण प्रस्तुत।
- प्रकरण का अवलोकन किया गया।
- प्रकरण में आदेश पारित कर पृथक से संलग्न है।
- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ भेजा जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कवर्धा